न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–V, हिलसा (नालंदा)।
पीठासीन पदाधिकारी :– संजीव कुमार राय
ए0बी0पी0– 414 / 2026
(खुदागंज थाना कांड संख्या– 74 / 2026)

जय कुमार प्रसाद एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार।

Date of Order	Order with the signature of the Court	Office action taken
22.07.2026	आवेदकगण 1. जय कुमार प्रसाद 2. मनीष कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन पत्र जो धारा– 190, 191(2), 126(2), 115(2), 118(1), 74, 303(2), 352, 351(2) बी0 एन0 एस0 के तहत खुदागंज थाना कांड संख्या– 74 / 2026 के संबंध में दाखिल किया गया है, जिस पर दोनों पक्षों को सुना। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण हैं। आवेदकगण की ओर से वर्तमान मुकदमा के सिलसिले में किसी भी प्रकार का नियमित या अग्रीम जमानत अर्जी श्रीमान् के न्यायालय नालंदा बिहार शरीफ या कैम्प कोर्ट हिलसा या अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हिलसा या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं की गयी है। आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष हैं तथा कोई अपराध नहीं किए हैं। मुकदमा के सूचक वो आवेदकगण दोनों एक ही वंशवृक्ष के व्यक्ति हैं क्योंकि मुकदमा के सूचक मनोज कुमार के पिता जगदीश प्रसाद एवं आवेदक अभियुक्त जय कुमार प्रसाद के पिता का नाम जगदीश प्रसाद हैं दोनों सहोदर भाई हैं एवं 1. नीतिश कुमार 2. आर्यण राज उर्फ सतीश कुमार तथा मनीष कुमार जयकुमार प्रसाद के पुत्र हैं तथा मुकदमा के सूचक मनोज कुमार का अपना भतीजा है। दोनों पक्षों के बीच जमीन बंटवारा को लेकर विवाद चला आ रहा है। मुकदमा के सूचक मनोज कुमार एवं अन्य लोगों के खिलाफ आवेदक मनिष कुमार के द्वारा एक पलटा मकदमा घटना के तिथि वो समय में दायर किया गया है। जिसका खुदागंज थाना काण्ड संख्या– 75 / 2026 धारा– 126(2), 115(2), 303(2), 352, 351(2), 3(5) बी0 एन0 एस0 के लिए दर्ज किया गया है जिसमें वर्तमान मुकदमा के सूचक एवं अन्य चार व्यक्ति अभियुक्त बनाए गए हैं। धारा 74 एवं 303(2) बी0 एन0 एस0 को छोड़कर सभी धाराएँ जमानतीय हैं। वर्तमान मुकदमा के अभियुक्त जय कुमार प्रसाद द्वारा अनुमंडल न्यायालय हिलसा के न्यायालय में 163 बी0एन0एस0एस0 के तहत केस किया गया है जिसका केस नं0– 21 / 2026 है जिसमें अनुमंडल दण्डाधिकारी के न्यायालय द्वारा संबंधित स्थानीय थाना खुदागंज एवं अंचलाधिकारी इसलामपुर के द्वारा जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों के बीच आपसी हिस्से एवं हक वो हकुक को लेकर विवाद चला आ रहा है। आवेदकगण 482(2) बी0एन0एस0एस0 के तहत निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। अतः आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं। सुना। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि मनोज कुमार दिनांक 05.04.2026 समय करीब– 18:30 बजे अपने परिवार के साथ घर पर थे। तभी अचानक उनके ही पटिदार नितिश, आर्यन राज उर्फ सतीश, मनीष, गौरव एवं जयकुमार एक राय होकर सुनियोजित तरीके से सभी अपने–अपने हाथ में लाठी, डंडा, हॉकी स्टिक, लोहे के रॉड एवं धारदार फरसा से लैश होकर घर में घुस गये तथा नितिश एवं आर्यन उर्फ सतीश सुचक एवं उसके परिवार को गाली देने लगे। मना करने पर नितिश ने अपने हाथ में लिए धारदार फरसा से सुचक के सिर पर जान	

लगातार...

मारने की नियत से हमला किया जिससे उसका सर फट गया। आर्यन राज उर्फ सतीश ने अपने हाथ में लिए लोहे के रॉड से जान मारने के नियत से सुचक के सिर पर मारा तो सुचक ने किसी तरह अपने आप को बचाया तो वार उसके पिठ एवं कमर पर चोट लगी तथा मारपीट के क्रम में नितीश एवं आर्यन राज उर्फ सतीश ने गोली मारने की धमकी दिया। सुचक को मारते देख उसकी भाभी कौशलया उसे बचाने आयी तो उसे भी जयकुमार, मनीष एवं गौरव ने अपने–अपने हाथ में लिए लाठी डंडा से मारपीट करने लगे। जयकुमार अपने हाथ में लिए लाठी से सुचक की भाभी के उपर सिर पर वार किया तो किसी तरह अपना बचाव की जिससे उनके हाथ में काफी चोट लगी। मारपीट के क्रम में में उसकी भाभी को बेपर्दा कर दिया। मनीष ने अपनी भाभी कौशल्या के गले से सोने का चैन नोच लिया। उपरोक्त सभी लोगों ने मिलकर सुचक के घर में रखे 50,000 रू निकाल लिये तथा दरवाजे पर लगे सोनालिका कम्पनी का ट्रैक्टर ट्राली सहित रंगदारी पूर्वक लेकर चले गये। यह बोलते हुए कि तुलोगों को जो करना होगा कर लेना। ग्रामीणों ने जख्मी हालत में सुचक एवं उसकी भाभी को इलाज हेतु अस्पताल भेजे।

सुना। प्राथमिकी एवं जमानत आवेदन का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि इस याचिका के पारा 3 के तहत आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण सुचक के गोतिया हैं। सुचक की भाभी को प्रार्थी सं0– 1 के द्वारा मारने का आरोप है जिसके कारण उसके हाथ पर ज़ख्म है और प्रार्थी सं0– 2 के विरूद्ध मारने का आरोप नहीं है। सभी प्रयास किए जाने के बावजूद अनुसंधानकर्ता ने पिछले तीन महीने से काण्ड दैनिकी न्यायालय में समर्पित नहीं किया जिससे पता चलता है कि अनुसंधानकर्ता ने जानबूझकर न्यायालय की कार्यवाही में विलंब करने का प्रयास किया।

अतः आवेदकों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को तद्नुसार **स्वीकृत** करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आदेश की तिथि से चार सप्ताह के अंदर आवेदकगण के गिरफ्तार होने या न्यायालय में आत्मसमर्पण किये जाने पर उसे 10,000 रूपये के दो समान प्रतिभू के साथ बंध पत्र निष्पादित किये जाने पर न्यायालय की संतुष्टी पर जमानत पर मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है।

कार्यालय इस आदेश की एक प्रति पुलिस अधीक्षक, नालंदा एवं एक प्रति पुलिस महानिरीक्षक, पटना को अनुसंधानकर्ता के विरूद्ध अनिवार्य कार्रवाई के लिए भेजें।

(लेखापित)

संजीव कुमार राय
अपर सत्र न्यायाधीश–V,
हिलसा (नालंदा)।

Date of Order	22.07.2026
Date of Reserving Order	
Uploading date	24.07.2026
Uploaded by	R.R. Prasad (D.E.O.)